

२४/८
स्लम एवं जे. जे. विभाग

दिल्ली नगर निगम

SLUM AND J. J. DEPARTMENT

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

३-६-११

४-६-११

१६-६-११

५-१०-११

A. P. ३

X.C. १७

A. A. Spec



MSR

विवरणिका
BROCHURE

भूखण्डों एवं फ्लैटों

हेतु

पट्टाधारिता (लीज-होल्ड) प्रणाली से पूर्ण स्वामित्व (फ्री-होल्ड)
में परिवर्तन सम्बन्धी योजना

Scheme of

Conversion from Leasehold System into Freehold
for

PLOTS AND FLATS

प्रस्ताव :- दिल्ली में भूमि का पट्टाधारिता अवधि प्रणाली से पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन करने संबंधी योजना में संशोधन ।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जे. 20011/12/77-एल. आई. टी. दिनांक 28-6-99 तथा सं. जे. 20011/12/77 एल. आई.-2 दिनांक 2-7-99 के आदेशों के अनुपालन में स्लम एण्ड जे. जे. विभाग दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि पट्टाधारिता अवधि आधारित प्रणाली संबंधी योजना में भूमि/प्लॉटों के आबंटियों के हित में विवरणिका में निर्दिष्ट शुल्क की अदायगी होने पर पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय किया है, ये परिवर्तन शुल्क 27-12-99 तक लागू रहेंगे । परिवर्तन शुल्क अथवा उनकी प्रथम किस्त जमा कराने की तिथि ही परिवर्तन के परिपालन हेतु निर्णायक तिथि होगी ।

योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा नियम व शर्तें

1. पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन सभी ओर केवल आवासीय पट्टाधारिता निर्मित सम्पत्तियों पर उनके आकार पर विचार किए बिना लागू किया गया है । योजना को प्रीमियम मुक्त पट्टों पर भी विस्तारित किया गया है ।
2. पट्टाधारिता से पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन के लिए एकमुश्त देय शुल्क अनुलग्नक 'अ' में दर्शाए गये हैं । ये शुल्क एकमुश्त अथवा समान वार्षिक किस्तों में, जोकि अधिक से अधिक पांच वर्षों की अवधि तक हो, भुगतान किए जा सकते हैं यदि राशि का भुगतान किस्तों में हो तो 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा । सभी किस्तों के पूर्ण भुगतान उपरान्त ही परिवर्तन की अनुमति होगी । किसी भी परिस्थिति में किसी भी किस्त की अदायगी के लिए समय सीमा में छूट नहीं दी जायेगी । भूमि किराए की अन्तिम किस्त के भुगतान तक अदायगी का दायित्व बना रहेगा ।
3. 50 वर्ग मीटर तक परिमाण के भूखण्डों के संबंध में कोई परिवर्तन शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा ।
4. स्वतः परिवर्तन की सुविधा आबंटियों/पट्टादारों को निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विस्तारित की गई है :-
 - (क) (1) जहां आज तक का बकाया भूमि किराया, संशोधित किराया अभी भुगतान किया जाना है ।
 - (2) जहां पट्टानियंत्रक अभिकरण द्वारा यदि पूर्व में मांग की गई अन्य देनदारियों का अभी भुगतान किया जाना है ।

SUBJECT : Scheme of Conversion from Leasehold tenure of land into Freehold in Delhi-Modifications in Scheme.

In pursuance of orders issued by the Ministry of Urban Development, Govt. of India, vide its Notification No. J-20011/12/77-LIT dated 28-6-99 and J-20011/12/77-LI-2 dated 2-7-99, modification in the scheme for conversion of leasehold tenure of land into freehold in N.C.T. of Delhi in the interest of allottees of land/flats on leasehold basis has been decided by the Slum & J.J. Department MCD, on payment of conversion charges indicated in this brochure. The conversion charges shall remain applicable till 27-12-99. The date of depositing the conversion charges or the first instalment thereof will be the crucial date for purpose of calculating the conversion charges.

SALIENT FEATURES AND TERMS & CONDITIONS GOVERNING THE SCHEME

1. The freehold conversion has been extended to all and only residential leasehold built-up properties irrespective of size. The scheme has also been extended to premium-free leases.
2. The one-time charges payable for conversion from leasehold to freehold are set out in Annexure 'A'. These charges may be paid in lump sum or in equated annual instalments spread over a period not exceeding five years. When the payment is made in the instalments, interest calculated @ 12% per annum shall be payable. The conversion shall be allowed only after all the instalments have been duly paid. No extension of time for payment of any instalment shall be granted under any circumstances. The liability to pay ground rent shall continue to occur, till the last instalment is paid.
3. No conversion fee will be chargeable in respect of plots having land area upto 50 sq. mtrs.
4. The facility of automatic conversion has been extended to the allottees/lessees, except in the following cases :-
 - (a) (1) where up-to-date arrears of ground rent revised ground rent are yet to be cleared.
 - (2) Other dues, if demanded earlier, by the lease administering agencies are yet to be cleared.

(3)

सम्पत्ति का स्वतः ही पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तन हो जायेगा जैसे ही उपर्युक्त (1) और (2) देनदारियों आबंटि / पट्टेदारी द्वारा भुगतान किया जाता है ।

The property will be automatically converted into freehold as soon as the dues at (1) & (2) above are cleared by the Allottees/Lessee.

- (ख) जहां सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार न्यायालय में विवादित हो या पट्टेदार और पट्टानियंत्रक के बीच विवाद लम्बित हो ।
- (ग) पट्टा निर्धारित किया गया है या सम्पत्ति का पुनराधिकार किया गया है । पट्टानियंत्रक द्वारा निर्धारित पुनराधिकार वापिस लेने के लिए पट्टे में दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुपालन में पुनराधिकार को वापिस लिया जाता है । तो सम्पत्ति पूर्ण स्वामित्व में स्वतः ही परिवर्तित हो जायेगी ।
- (घ) खाली भूखण्ड ।
- (ङ) परिवर्तन केवल आबंटित/पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के संबंध में होगा । इसमें अनाधिकृत क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा ।

- (b) Where the title of the property is under dispute in the court of law or there is litigation pending between the lessee and the lessor.
- (c) The lease has been determined or the property re-entered. As soon as the re-entry is withdrawn upon compliance with terms and conditions as may be prescribed by the lessor for withdrawal or re-entry under the terms of the lease, the property will be automatically converted into freehold.
- (d) Vacant plots.
- (e) The conversion will be in respect of the areas allotted/leased only and it will not cover the area encroachment.

5. सभी सम्पत्तियों को जिन्हें बंधक रखा गया है, बंधकी के बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

5. All properties which have been mortgaged will not be converted into freehold without N.O.C. from the mortgagee.

6. आवेदक को भूमि किराये का बकाया 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जहां कहीं भी लागू हो, परिवर्तन की अनुमति से पूर्व जमा कराना होगा । उन मामलों में, जहां भूमि किराये की संशोधित राशि पट्टेदार को अधिसूचित कर दी जायेगी जिससे की हस्तान्तरण विलेख निष्पादन होने से पूर्व वह उसे जमा करा दे ।

6. The arrears of ground rent along with interest @ 18% per annum wherever applicable would have to be paid by the applicant before conversion can be permitted. In cases where revision of ground rent has become due, the revised amount of ground rent will be notified to the lessee for depositing the amount before the execution of the conveyance deed.

7. परिवर्तन शुल्क की गिनती केवल 1987 की भूमिदरों पर की जायेगी और तैयार/निर्मित फ्लैटों के मामले में परिवर्तन शुल्क में छूट 33-1/3 प्रतिशत की दर से और सम्पत्तियों के मूल पट्टेदारों के मामले में परिवर्तन शुल्क में छूट 25 प्रतिशत तक स्वीकृत होगी ।

7. Conversion charges will be computed only at the land rate for the year 1987 and remission of conversion fee @ 33-1/3% in respect of ready /built flats and remission of conversion fee by 25% in respect of original lessees of properties will be allowed.

8. अनाधिकृत निर्माण की शर्त हटा दी गई है ।

8. The condition of unauthorised construction has been waived off.

9. ऐसे मामलों में जहां पट्टा विलेखों/हस्तान्तरण विलेखों पर हस्ताक्षर नहीं हुए होंगे वहां परिवर्तन की अनुमति इस शर्त पर होगी कि पट्टा विलेख प्रशासनिक कारणों से निष्पादित न हुआ हो न कि आबंटियों की ओर से किन्हीं कमियों के कारण निष्पादित न हुआ हो । फिर भी ऐसे मामलों में मुद्रांक शुल्क (स्टैप ड्यूटी) परिवर्तन शुल्क के ऊपर और अधिभार जहां भी लागू हो, सम्पत्ति के मूल्य/अधि-मूल्य पर भी देय होगा ।

9. In case where lease deeds/conveyance deeds have not been signed, conversion will be allowed provided that the non-execution of the lease deed has been on account of administrative reasons and not because of certain defaults on the part of the allottees. However in such cases the stamp duty would be payable on the amount of conversion charges and the surcharge wherever applicable as well as the price/premium of the property.

10. सम्पत्ति के दावे से संबंधित किसी कानूनी विवाद के मामले में कानूनी विवाद के निर्णय होने से पूर्व परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

10. In case of any legal dispute relating to title of the property, conversion shall not be allowed until the legal dispute is settled.

11. जहां हस्तांतरण विलेख का अभी निष्पादन/पंजीकरण किया जा रहा है, उन लम्बित आवेदकों के मामले में भुगतान किए गए परिवर्तन शुल्क को वर्णित करने की अनुमति होगी।

12. परिवर्तन की अनुमति केवल तभी होगी जब भूमिखण्ड में आवासीय भवन निर्मित किया गया हो तथा निर्माण पूरा हो गया हो। भवन के लिए 'घ' फार्म प्राप्त किया जा चुका हो। दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके सेवा-अवधि के लिए निवास हेतु बनाए गए निर्मित फ्लैटों पर यह परिवर्तन लागू नहीं होगा।

13. ऐसे मामलों में, जिनमें पट्टादाता के पास नामांतरण अथवा प्रतिस्थापना हेतु आवेदन लंबित हो, उनमें परिवर्तन की अनुमति आवश्यक नामांतरण/प्रतिस्थापना किए जाने के पश्चात् ही दी जायेगी।

14. परिवर्तन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे।

15. मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी तथा मुख्तारनामाधारक के मध्य किसी विवाद की स्थिति में पूर्ण स्वामित्व अधिकार पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब विवाद का निर्णय हो जायेगा।

16. परिवर्तन की अनुमति ऐसे मामलों में भी दी जायेगी, जिनमें पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी ने सम्पत्ति का कब्जा दे दिया हो, बशर्ते कि :-

(क) परिवर्तन का आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, जिसको सम्पत्ति के हस्तान्तरण (विक्रय/अंतरण) के लिए पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी द्वारा मुख्तारनामा दिया गया हो।

(ख) सम्पत्ति के कब्जे का प्रमाण उस व्यक्ति के पक्ष में दिया गया हो जिसके नाम परिवर्तन कराया जाना है।

(ग) जिन मामलों में क्रमिक मुख्तारनामे हों, उनमें परिवर्तन की अनुमति कब्जे के तथ्यों के सत्यापन के बाद ही दी जायेगी बशर्ते की मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी की अन्तिम मुख्तारनामा धारक के साथ संबंध स्थापित हो जाए और मुख्तारनामे की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई हों।

ऐसे मामलों की किसी नियमित पट्टेदार पर लागू सामान्य परिवर्तन प्रमारों के अतिरिक्त परिवर्तन शुल्क पर 33-1/3 प्रतिशत अधिभार देय होगा (कोई अनर्जित वृद्धि वसूल नहीं की जायेगी)।

17. स्लम एवं जे.जे. विभाग, दि. न. नि. के आवासी फ्लैट जो खरीद-फरोख्त के आधार पर आबंटित किए गए हैं उनका सभी किरतों का ब्याज सहित यदि कोई हो, भुगतान करने के पश्चात् ही परिवर्तन की अनुमति दी जायेगी।

18. भूमि के मूल्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुलग्नक 'सी' में दिया गया है। जिन बस्तियों के मूल्य अनुलग्नक 'सी' में नहीं दिए गए उनका मूल्यांकन साथ लगती हुई बस्तियों के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।

11. Refund of conversion fee paid in respect of pending applicants where conveyance deeds are yet to be executed/registered, will be allowed.

12. Conversion would be allowed only when the residential building on the plot has been constructed and completion 'D' Form for the building has been obtained. It is not applicable to built up residential flats, built up by the MCD for the residence of its employees during the tenure of their services.

13. In cases where applications for mutation or substitution are pending with the lessor, conversion would be allowed only after necessary mutation/substitution has been carried out.

14. The application for conversion shall not be entertained unless accompanied by prescribed documents.

15. In case of any dispute between the original lessee/sub-lessee/allottee and Power of Attorney holder, application for grant of freehold rights would be entertained only after the dispute is settled.

16. The conversion shall also be allowed in the cases where lessee/sub-lessee/allottee has parted with the possession of the property, provided that :-

(a) Application for conversion is made by a person holding Power of Attorney from lessee/sub-lessee/allottee to Alienate (sell/transfer) the property.

(b) Proof is given of possession of the property in favour of person in whose name conversion is being sought.

(c) Where there are successive power of Attorneys conversion will be allowed after verifying the factum of possession provided that the linkage of original lessee/sub-lessee/allottee with the last Power of Attorney is established and attested copies of Power of Attorneys are submitted.

In such cases, a surcharge of 33-1/3% on the conversion fee would be payable over and above the normal conversion charges applicable for a regular lessee (no unearned increase will be recoverable).

17. In case of the Slum & J.J. Department, MCD residential flats allotted on hire-purchase basis, conversion shall be allowed only after all the instalments have been paid with interest, if any.

18. The land rates for different areas have been given in Annexure 'C', the localities for which land rates have not been given in Annexure 'C' land rates of the adjoining/comparable locality would be applicable.

19. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का समय वांछित परिवर्तन शुल्क और अधिभार जो लागू हो के साथ 200/- रुपये प्रक्रियात्मक शुल्क जमा कराना आवश्यक होंगे ।

20. भुगतान विधि बैंक (वास्तविकता की शर्त पर) बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेशों द्वारा अधिमान्य होगी जो दिल्ली में देय हों, द्वारा होगी । नकद राशि भी स्वाकार की जायेगी । जमा करायी जाने वाली राशि निकटतम पूरे रूपों में ही हो । आवेदन-पत्र और परिवर्तन प्रभार जमा करवाने के बाद आवेदकों को पावती अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए जोकि भविष्य में भुगतान के प्रमाण के उल्लेख हेतु काम आये ।

परिवर्तन प्रभार और अधिकार, जहां भी लागू हों, एकमुश्त अथवा अधिकतम पांच समान किस्तों में जमा किये जा सकते हैं (प्रथम और उसके बाद की किस्तों की राशि का हिसाब लगाने का सूत्र अनुलग्नक क-‘छ’ (जी) में दिया गया है । आवेदक द्वारा चुनी गयी भुगतान योजना के अनुसार ही समान वार्षिक किस्तों की सही राशि का हिसाब लगाया जा सकता है) ।

परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति

निर्धारित आवेदन-प्रपत्र सहित विवरणिका भविष्य में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक 50/- रु. के भुगतान पर उप-निदेशक (एल.एण्ड एल.) स्लम एवं जे.जे. विभाग, दि.न.नि. के कार्यालय से बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे ।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने स्लम एण्ड जे.जे. विभाग, दिल्ली नगर निगम में अपनी सम्पत्तियों से सम्बन्धित आवेदन-प्रपत्र ही प्राप्त किये हैं और निर्धारित दस्तावेजों तथा परिवर्तन एवं अन्य प्रभारों के साथ प्रस्तुत कर दिये हैं ।

सभी प्रकार से विधिवत् भरे हुए आवेदन-प्रपत्र, निर्धारित परिवर्तन एवं अन्य प्रभारों के साथ किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक उप-निदेशक (एल.एण्ड एल.) स्लम एवं जे.जे. विभाग, दि. न.नि. के कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं ।

यदि कोई भी आवेदन-पत्र किसी भी रूप में अचूरा या दोषपूर्ण पाया जाएगा तो आवेदक को 15 दिन की अवधि के अन्दर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न न किए गए दस्तावेजों को लगाने और दोषों को दूर करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा । निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक द्वारा दोषों को ठीक न किए जाने पर आवेदन-पत्र रद्द माना जाएगा । जो भी आवेदन-पत्र ठीक होंगे उन सभी को निर्धारित औपचारिकताएं पूरा होने की तारीख से अधिकतम 90 दिन के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाएगा । हस्तांतरण विलेख उस आवेदक/व्यक्ति, जिसके नाम परिवर्तन कराने की इच्छा व्यक्त की गई है, के पास पंजीकृत डाक से भेज दिया जाएगा । इसके बाद प्राप्तकर्ता, हस्तांतरण विलेख पर स्टैम्प समाहर्ता से स्टैम्प लगवाएंगे और उसे प्राप्त करने के 45 दिन के अन्दर प्राधिकृत

19. The requisite conversion charges and surcharge applicable along with processing fee of Rs. 200/- required to be deposited at the time of submission of application form.

20. Mode of remittance shall be preferably by Cheque (subject to realization), pay order, bank draft payable at Delhi. Cash will also be accepted.

The amount of remittance has to be rounded off to the nearest rupee. After depositing the application form and the conversion charges, applicants must ensure to obtain an acknowledgment to serve as proof of payment for their future reference.

The conversion charges, and surcharge wherever applicable can be deposited either in lump sum or in not more than five equated annual instalments (Annexure 'G' gives the formula for working out the amount payable by way of first and subsequent instalments. The exact amount of the equated annual instalments can be worked out accordingly depending upon the payment plan chosen by the applicant.)

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR CONVERSION

The brochure along with prescribed application form will be available for sale on payment of Rs. 50/- from onwards at Office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. on any working day.

Applicants are advised to ensure that the application form relevant to their properties in the Slum & J.J. Department MCD is procured and filed along with the prescribed documents and conversion and other charges.

The application form duly complete in all respects, along with prescribed conversion and other charges may be deposited at office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. on any working day.

If any application is found incomplete or defective in any manner, the applicant shall be afforded an opportunity to furnish the prescribed documents not enclosed to the application and to remove the defects within a period of 15 days. On the failure of the applicant to remove the defects within the period specified, the application shall be deemed to have been rejected. Application found in order will be disposed of within a maximum period of 90 days from the date on which the prescribed formalities are completed. Conveyance deed shall be sent to the applicant/person in whose name conversion is sought by registered post. The recipient shall then get it stamped from Collector of Stamps and

अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए उपनिदेशक (एल एण्ड एल) कार्यालय में जमा करेंगे हस्तांतरण विलेख प्राप्त करने के समय एक तारीख दी जायेगी जिस दिन आवेदन-कर्ता उप-निदेशक (एल.एण्ड एल.) कार्यालय से हस्ताक्षरित, हस्तांतरण विलेख प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्राप्तकर्ता के हस्तांतरण विलेख को संबंधित उप-पंजीकार के पास पंजीकृत करवाना होगा। स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभारों का वहन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके नाम परिवर्तन करने की अनुमति दी गई होगी।

यदि उस आवेदक/व्यक्ति, जिसके नाम परिवर्तन कराने की इच्छा व्यक्त की गयी हो, को हस्तांतरण विलेख 90 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो वह स्कीम के उप-निदेशक (एल.एण्ड एल.) से सम्पर्क कर सकते/सकती हैं।

जमा कराये जाने वाले दस्तावेज

आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- (क) निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित वचन-पत्र [अनुलग्नक-त' (एम)]
- (ख) निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित वचन-पत्र [अनुलग्नक-थ' (एन)]
- (ग) निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित क्षतिपूर्ति बंधपक्ष [अनुलग्नक-द' एवं 'द द' ('ओ' एवं 'ओ ओ')]
- (घ) नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी विधिवत् सत्यापित विक्रय करार सहित मुख्तारनामे की प्रति (जहां आवेदन-पत्र अटॉर्नी द्वारा दिया गया हो)।
- (ङ) नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित समापन प्रमाण-पत्र/ "डी" फार्म (सभी भूखण्डों के मामलों में)।
- (च) जिस व्यक्ति के नाम परिवर्तन करवाना है, उसका वास्तविक कब्जे का प्रमाण यथा अधिमोग-पत्र अथवा पर्ची/गृहकर रसीद/राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रतिलिपि, जो नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित होना चाहिए।
- (छ) जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना हो उस व्यक्ति के पासपोर्ट आकार के सत्यापित चार फोटो और सत्यापित चार नमूना हस्ताक्षर जो अनुलग्नक 'भ' (पी) के अनुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा विधिवत् सत्यापित हो (यदि आवेदक आबंटी/उप-पट्टेदार/पट्टेदार हो तो उसके फोटो,

submit it within 45 days from the date thereof at office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi, for signatures of the authorised person. At the time of receipt of the conveyance deed, a date will be given on which the signed conveyance deed can be collected from office of Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi. Thereafter, the recipient shall get the conveyance deed registered with the concerned sub-registrar. Stamp duty i.e. stamp duty under the Stamp Act and transfer duty under the DMC Act and registration charges shall be payable by the person in whose favour the conversion is sought.

In case, the conveyance deed is not received by an applicant/person in whose favour conversion has been sought within a period of 90 days, he/she may contact the Dy. Dir. (L and L) Slum & J.J. Department MCD, B Block Vikas Kutir, Delhi

DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED

The applicant shall be required to furnish the following documents along with the application form:-

- (a) Undertaking in prescribed format duly attested by Notary Public/First Class magistrate (Annxure 'M').
- (b) Affidavit in prescribed format, duly attested by Notary Public/First Class Magistrate (Annexure 'N').
- (c) Indemnity Bond(s) in prescribed format(s) duly attested by Notary Public/First Class Magistrate (Annexure 'O' & 'OO').
- (d) Copy of attorney(s) along with copy of sale agreement (where the application is made by attorney) duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.
- (e) Copy of Completion Certificate/'D' form (in respect of all plots) duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.
- (f) Proof of physical possession by the person in whose name the conversion is sought viz. copy of possession letter or slip/house tax receipt/ration card/passport/driving licence etc. duly attested by the Notary Public/Gazetted Officer.
- (g) Four attested passport size photographs and four attested specimen signatures of the person in whose favour the conversion is sought duly attested by a Gazetted Officer Notary Public as per Annexure 'P' (if the applicant is allottee/sub-lessee/lessee, then his/her photograph and in case of applicant

और यदि आवेदक की अटॉर्नी हो तो आवेदन-प्रपत्र के स्तम्भ (कॉलम) "3" में नामित व्यक्ति के फोटो जमा करने अपेक्षित हैं ।

- (ज) भूमि किराये का विवरण अनुलग्नक 'म' (क्यू) के अनुसार होगा ।
- (झ) नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित पट्टा विलेख/उप-पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/आबंटन-पत्र/मांग-पत्र की प्रतिलिपि ।

आवेदन-प्रपत्र भरने हेतु दिशा निर्देश

कॉलम-1

यदि, सम्पत्ति का केवल एक आबंटी/उप-पट्टेदार/पट्टेदार हो जो उसे पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करवाना चाहता हो तो उसका नाम और अन्य विवरण उप-कॉलम (क) में दिये जाने चाहिए । यदि दो आबंटी/उप-पट्टेदार/पट्टेदार हो तो उनके नाम और अन्य विवरण उप-कॉलम (क) और (ख) में अलग-अलग दिये जाने चाहिए । यदि दो से अधिक पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी हों तो उनके अपेक्षित विवरणों से युक्त एक कागज अलग से संलग्न किया जाना चाहिए ।

कॉलम-2

यदि पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी की ओर से विक्रय अनुमति लेने, विक्रय विलेख निष्पादित कराने और उसे पंजीकृत कराने के लिए विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विवरणों का इस कॉलम में उल्लेख किया जाना चाहिए तथापि, ऐसे मामलों में पहले कॉलम को भी भरना होगा । यदि उत्तरवर्ती अटॉर्नी हो तो केवल अन्तिम अटॉर्नी के आवेदन-पत्र पर ही विचार किया जाएगा बशर्ता कि मूल पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी और आवेदक/अन्तिम अटॉर्नी का सम्बन्ध स्थापित करते हुए सभी मुख्तारनामों की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हों ।

कॉलम-3

यह कॉलम केवल उन्हीं मामलों में लागू है जहां पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में आबंटन कराया जाना हो और आवेदन-पत्र अटॉर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तथापि यह आवश्यक होगा कि उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में परिवर्तन कराया जाना हो, के पास उसके पक्ष में निष्पादित वैध विक्रय करार के अन्तर्गत सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा होना चाहिए ।

कॉलम-4

उप-कॉलम (II) के अन्तर्गत कॉलम तीन में नामित व्यक्ति के पास कब्जे के प्रमाण के लिए कुछ प्रमाणित दस्तावेज यथा राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग-लाईसेन्स आदि की सत्यापित फोटो-प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए । उप-कॉलम (III) के अन्तर्गत बेचने के लिए करारनामे अथवा किसी अन्य प्रमाणिक दस्तावेज की सत्यापित सत्यप्रतियां

being an attorney, photographs of the person named in Column 3 of the application form are required to be submitted).

- (h) Details of payment of ground rent as per Annexure 'Q'.
- (i) Copy of lease deed/sub-lease deed/conveyance deed/allotment letter/demand letter, duly attested by Notary Public/Gazetted Officer.

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

Column 1

If there is only one allottee/sub-lessee/lessee of the property sought to be converted into freehold, his name and other particulars should be given in sub-column (a). If there are two allottees/sub-lessees/lessees, the name and other particulars should be given separately in sub-columns (a) & (b). If there are more than two lessees/sub-lessees/allottees, a separate sheet be attached giving the required particulars.

Column 2

If the application is submitted by an attorney duly authorised to seek sale permission, execute the sale deed and get it registered on behalf of the lessee/sub-lessee/allottee, his particulars should be given in this column. However, first column also shall be filled up in such cases. If there are successive power of attorneys, the application shall be entertained only from the last Attorney, provided that attested copies of all the Power of Attorneys establishing the linkage between the original lessee/sub-lessee/allottee and the applicant/last attorney are submitted.

Column 3

This column is applicable only in cases where conversion is sought in favour of a person other than the lessee/sub-lessee/allottee and the application is submitted by the Attorney. It would, however, be necessary that the person in whose favour the conversion is sought is in physical possession of the property under a valid agreement to sell executed in his/her favour.

Column 4

Under sub-column (ii), some authentic document viz. attested photocopy of the Ration Card, Passport, Driving Licence etc. should be submitted in proof of possession with the person named in column No. 3 Under sub-column (iii), attested true copy of agreement to sell or any other authentic document showing that the person named in

प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि कॉलम (1) में नामित किए गए व्यक्ति ने सम्पत्ति के खरीदने की सहमति पहले से दे दी है।

कॉलम 14 और 15

परिवर्तन के लिए आवेदन करने से पहले अद्यतन भू-किराया और उसके साथ भू-किराये पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

कॉलम 16

आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवर्तन प्रभार अनुलग्नक 'क' (ए) में दिये गये फार्मूले के अनुसार ध्यानपूर्वक निर्धारण कर लें। भूखण्डों के सम्बन्ध में लागू होने वाली अधिसूचित दरें अनुलग्नक 'ग' (सी) में दी गई हैं।

कॉलम-17

उन मामलों में जहां आवेदन-पत्र पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटी के अटॉर्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाए और आबंटी/पट्टेदार/उप-पट्टेदार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तन करवाना हो, तो अधिभार का भुगतान करना होगा। अधिभार राशि निर्धारित परिवर्तन प्रभारों का 33-1/3% है।

कॉलम-18

आवेदक को विकल्प दिया गया है कि वह अपेक्षित प्रभारों अर्थात् परिवर्तन प्रभारों और अतिरिक्त परिवर्तन प्रभारों और/अथवा अधिभारों, जहां लागू हो, का भुगतान एकमुश्त अथवा समान वार्षिक किस्तों में कर सकता है। यदि आवेदक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प लेता है तो उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। आवेदक के विकल्प के अनुसार वार्षिक किस्तें 2, 3, 4 अथवा 5 हो सकती हैं। पहली किस्त का भुगतान आवेदन-पत्र के साथ करना होगा। दूसरी/बाद की किस्तें अगले/बाद के वर्षों की उसी तिथि को देय होगी। अनुलग्नक 'छ' (जी) में समान वार्षिक किस्तों की राशि उल्लिखित हैं, यदि निर्धारित प्रभार की राशि 100/- रु. हो/आवेदक तदनुसार देय समान वार्षिक किस्तों की राशि का हिसाब लगा सकता है।

टिप्पणी :

इस विवरणिका में अद्यतन और सही सूचना देने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। यदि, इस सबके उपरान्त भी जनता के संबंधित सदस्यों को विवरणिका की छपाई में किसी त्रुटि या भूल का पता लगे तो वे उसे संशोधन हेतु लिखित रूप में उप-मुख्य लेखा पाल II / वरिष्ठ लेखा अधिकारी (जे.जे.) विकास कुटीर दिल्ली की जानकारी में लाएं। स्लम एवं जे.जे. विभाग, दिल्ली नगर निगम को किसी प्रशासनिक/नीति संबंधी निर्णय अथवा किसी अन्य कारण से आवश्यकतानुसार इस विवरणिका में निर्दिष्ट किसी भी व्यवस्था को जोड़ने, संशोधन करने, प्रतिस्थापित करने अथवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

column 3 has already agreed to purchase the property is required to be submitted.

Columns 14 & 15

It is necessary to pay up-to-date ground rent along with simple interest @ 10% per annum for arrears, if any, before applying for conversion.

Column 16

The applicant is required to assess the conversion charges carefully on the basis of the formulas given in Annexure 'A'. The notified land rates applicable in respect of plots have been given in Annexure 'C'.

Column 17

Surcharge is required to be paid in the cases where the application is submitted by the attorney of the lessee/sub-lessee/allottee and conversion is sought in favour of a person other than the allottee/lessee/sub-lessee. The amount of surcharge is 33-1/3% of the prescribed conversion charges.

Column 18

The applicant has been given option to pay the requisite charges i.e. conversion charges as well as additional conversion charges and/or surcharge, wherever applicable, in lump sum or in equated yearly instalments. Simple interest @ 12% per annum will be payable if the applicant opts for payment in instalments. The yearly instalments can be 2, 3, 4 or 5 at the option of the applicant. First instalment shall be required to be paid along with the application. Second/Subsequent instalments shall fall due exactly on the same date of the next/subsequent year. Annexure 'G' gives the amount of equated yearly instalments, if the prescribed charges come to Rs. 100/-. The applicant can accordingly work out of the amount of yearly equated instalments payable by him/her.

Note :

Every possible care has been taken to give up-to-date and correct information in this brochure. If in spite of all this, any error or omission in the printing of the brochure is detected by the concerned member of public, they should immediately bring the same to the notice of the Dy. Chief Accountant II/Sr. Account Officer (J.J.) Slum & J.J. Department MCD, E Block Vikas Kutir, Delhi in writing for rectification. Slum & J.J. Department, MCD reserves into itself the right to add, modify, substitute or delete any stipulation as contained in this brochure which may, for any administrative/policy decision or for any other reason whatsoever, becomes necessary.

विभिन्न आकारों के प्लॉटों के लिए एक कालिक परिवर्तन प्रभार और 500 वर्गमीटर एक से अधिक प्लॉटों के लिए प्रस्तावित शुल्क को दर्शाने वाला विवरण :-

500 वर्ग मीटर तक की सम्पत्तियों के जो कि निम्न प्रकार से ग्रेड स्केल पर परिवर्तन प्रभार का निर्धारण किया गया है :

1.	50 मीटर तक	शून्य
2.	50 से अधिक और 150 तक	50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 7.5 प्रतिशत। (0.075 x आर x (पी-50))
3.	150 मीटर से अधिक और 250 तक	150 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार जमा 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर का 10 प्रतिशत। (7.5 x आर) + (0.1 x आर (पी-150))
4.	250 से अधिक और 350 तक	250 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार (-) जमा 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 15 प्रतिशत। (17.5 x आर) + (0.15 x आर x (पी-250))
5.	350 से अधिक और 500 तक	350 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार (-) जमा 350 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 20 प्रतिशत। (32.5 x आर) + (0.2 x आर x (पी-350))

500 वर्ग मीटर से ऊपर प्लॉटों पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित शुल्क की दरों का विवरण निम्न प्रकार है :

1.	500 से अधिक और 750 वर्ग मीटर तक	500 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार - 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित भूमि दर का 25 प्रतिशत। 62.5 x आर + (0.25 x आर x (पी-500))
2.	750 से अधिक 1000 वर्ग मीटर तक	750 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार-750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 30 प्रतिशत। (12.5 x आर) + (0.3 x आर x (पी-750))
3.	1000 से अधिक 2000 वर्ग मीटर तक	1000 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार-1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 40 प्रतिशत। (200 x आर) + 0.4 x आर x (पी-1000)
4.	2000 वर्ग मीटर से अधिक	2000 वर्ग मीटर पर लागू परिवर्तन प्रभार-अधिक क्षेत्रफल के लिए अधिसूचित प्रति वर्ग मीटर भूमि दर का 50 प्रतिशत (600 x आर) + 0.5 x आर x (पी-2000)

Statement showing one-time conversion fee for various types of plots and the proposed slab of conversion fee for plots with map more than 500 sq. mtrs.

In respect of the properties upto 500 sq. mtrs. the conversion fee has been prescribed on a grade scale as under :-

(i)	Upto 50 sq. mtrs.	Nil
(ii)	Beyond 50 sq. mtrs. upto 150 sq. mtrs.	7.5% of the notified land rates above 50 sq. mtrs. (0.075 x R x (P-50))
(iii)	Above 150 sq. mtrs. upto 250 sq. mtrs.	Conversion charges applicable to 150 sq. mtrs. plus 10% of the notified land rates above 150 sq. mtrs. (7.5 x R) + (0.1 x R (P-150))
(iv)	Above 250 sq. mtrs. upto 350 sq. mtrs.	Conversion charges applicable to 250 sq. mtrs. plus 15% of the notified land rates above 250 sq. mtrs (17.5 x R) + (0.15 x R x (P-250))
(v)	Above 350 sq. mtrs. upto 500 sq. mtrs.	Conversion charges applicable to 350 sq. mtrs. plus 20% of the notified land rates above 350 sq. mtrs (32.5 x R) + (0.2 x R x (P-350))

The rate of conversion fee chargeable in respect of residential properties exceeding 500 sq. mtrs. are proposed as under :-

(i)	Above 500 to 750 sq. mtrs	Conversion charges as applicable to 500 sq. mtrs. plus 25% of the notified land rates for area above 500 sq. mtrs (62.5 x R) + (0.25 x R x (P-500))
(ii)	Above 750 to 1000 sq. mtrs	Conversion charges as applicable to 750 sq. mtrs. plus 30% of the notified land rates for area above 750 sq. mtrs (125 x R) + 0.30 x R x (P-750)
(iii)	Above 1000 to 2000 sq. mtrs	Conversion charges as applicable to 1000 sq. mtrs. plus 40% of the notified land rates for area above 1000 sq. mtrs (200 x R) + 0.4 x R x (P-1000)
(iv)	Above 2000 sq. mtrs	Conversion charges as applicable to 1000 sq. mtrs. plus 50% of the notified land rates for area above 2000 sq. mtrs (600 x R) + 0.5 x R x (P-2000)

SCHEDULE OF MARKET RATES OF LAND IN DELHI/NEW DELHI
APPLICABLE FOR CONVERSION UPTO 27.12.99

SL. NO.	NAME OF LOCALITY	RESIDENTIAL RATE (RS. PER SQ. METRE)
Zone-II		
South Delhi		
1.	Moti Bagh-II	5000/-
2.	Srinivaspuri	4000/-
3.	Sunlight Colony	4000/-
Zone-III		
West Delhi		
1.	N.G. Road	3000/-
Zone-V		
East Delhi		
1.	Seelam pur (Shahdara)	1330/-

Note: The localities for which no market rates of land have been indicated above, the market rates of land, shown as above, for the adjoining/comparable locality may be applicable.

क्र. स.	जगह का नाम	रिहायशी मूल्य (Rs. per sq. metre)
क्षेत्र द्वितीय (II) दक्षिणी दिल्ली		
1.	मोती बाग-II	5000/-
2.	श्री निवास पुरी	4000/-
3.	सनलाईट कालोनी	4000/-
क्षेत्र तृतीय (III) पश्चिमी दिल्ली		
1.	नजफगढ़ रोड	3000/-
क्षेत्र चतुर्थ (IV) पूर्वी दिल्ली		
1.	सीलमपुर (शाहदरा)	1330/-

टिप्पणी :- जिन स्थानों के लिए ऊपर भूमि की कोई बाजार दर निर्दिष्ट नहीं की है, उन स्थानों के लिए समीपवर्ती/समान स्थान के लिए ऊपर दर्शायी गयी भूमि की बाजार दरें लागू होंगी।

यदि कोई आवेदक एकमुश्त भुगतान नहीं करना चाहता है तो ऐसे मामले में समान वार्षिक किस्तों के आंकलन के लिए एक उदाहरण नीचे दिया है। मान लीजिए परिवर्तन प्रभारों, अतिरिक्त परिवर्तन प्रभार और अधिभार, यदि कोई हों, का भुगतान दायित्वों का एकमुश्त भुगतान 100/- रुपये निकलता है तो ऐसे मामले में पहली और बाद की किस्तों द्वारा देय समान वार्षिक किस्तें निम्नानुसार होंगी :-

1.	यदि आप दो (2) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	रु. 52.83
	दूसरी वार्षिक किस्त की राशि	रु. 52.83
2.	यदि आप तीन (3) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	रु. 37.18
	द्वितीय तथा तृतीय प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि	रु. 37.18
3.	यदि आप चार (4) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	रु. 29.40
	दूसरी, तीसरी और चौथी वार्षिक किस्त (प्रत्येक)	रु. 29.40
4.	यदि आप पांच (5) किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं	
	आवेदन-पत्र के साथ देय पहली किस्त की राशि	रु. 24.77
	दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी वार्षिक किस्त (प्रत्येक)	रु. 24.77

यह नोट करें कि यदि किस्त का भुगतान 01-12-99 को किया जाता है तो दूसरी और बाद की किस्त निश्चित रूप में 01-12-2000, 01-12-2001 को देय होगी इसी प्रकार आगे, जैसी भी स्थिति हो।

(समान वार्षिक किस्त द्वारा भुगतान राशि पर 12% वार्षिक ब्याज देय होगा)

Given below is an illustration of calculating equated annual instalments, if an applicant does not wish to pay in lump sum. Suppose, the liability to pay conversion charges, additional conversion charges and surcharge if any works out to Rs. 100/- in lump sum, equated annual instalments payable by way of first and subsequent instalments will be as follows :-

(i)	If you plan to pay in two (2) instalments amount of I instalment payable along with application	Rs. 52.83
	Amount of II annual instalment	Rs. 52.83
(ii)	If you plan to pay in three (3) instalments,	
	Amount of I instalment payable along with application	Rs. 37.18
	Amount of II and III annual instalments, each.	Rs. 37.18
(iii)	If you plan to pay in four (4) instalments,	
	Amount of I instalment payable along with application	Rs. 29.40
	Amount of II, III and IV annual instalments, each.	Rs. 29.40
(iv)	If you plan to pay in five (5) instalments,	
	Amount of I instalment payable along with application	Rs. 24.77
	Amount of II, III, IV and V annual instalments, each.	Rs. 24.77

It may be noted that, if first instalment is paid on 01.12.99, the second and subsequent instalment will be payable strictly on 01.12.2000, 01.12.2001 and so on as the case may be.

(Amount paid by way of equated instalments carries an interest of 12% per annum).

UNDERTAKING

(To be submitted by the person in whose favour conversion is sought on non-judicial stamp paper of Rs. ^{10/-}~~2/-~~ duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

I _____ S/o, W/o, D/o Sh. _____
 _____ resident of _____
 _____ do hereby undertake as under :-

1. That I shall pay to Slum and J.J. Department, MCD, immediately on demand, such amount as may be demanded by it on account of arrears of ground rent and / or interest thereon, in respect of plot/flat/tenement no. _____ in Block no. _____
 Pkt. _____ in _____
2. That I shall pay to Slum and J.J. Department, MCD, immediately on demand, such amount, as may be demanded by it on account of maintenance/service charges (applicable only in case of flats).
3. That I shall pay, within such time such additional sum or sums towards premium of the above referred property, as may be decided upon by the lessor on account of compensation awarded by the Land Acquisition Collector being enhanced on reference or in appeal or both and the decision of the lessor in this behalf shall be final and binding on me (applicable only in case of plots other than those sold in auction).
4. That on my failure to pay any sum referred above the conversion of lease hold rights into free hold rights in respect of the above referred property shall be deemed to be null and void and the lessor/Authority shall be entitled to recover the same as arrears of land revenue.
5. That if it is found by Slum and J.J. Department, MCD, or any other local Authority, at any point of time, that the above referred property or any part thereof is being used for non residential purpose, in violation of the Master Plan of Delhi, I shall, forthwith, stop such use.

Executed by me at Delhi/New Delhi on this _____
 day of _____ 199 _____

Lessee/sub-lessee/Allottee/
 Purchaser.

In the presence of,

1. _____
2. _____

वचन-बन्ध

(यह वचन-बन्ध उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है। यह वचन बन्ध 2/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इस नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत साक्ष्यांकित करवाया जाए।)

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री निवासी

एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्न लिखित वचन देता / देती हूँ

1. कि मैं के पाकेट ब्लॉक सं. के प्लॉट/फ्लैट सं. /मकान सं. के सम्बन्ध में भू-भाटक की बकाया और / अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि का स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. को उसके द्वारा मांगे जाने पर तत्काल भुगतान कर दूंगा/दूंगी।

2. कि मैं स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. को रखरखाव/सेवा प्रभार के रूप में उसके द्वारा मांगी जाने वाली राशि का तत्काल भुगतान कर दूंगा/दूंगी (केवल फ्लैटों के मामलों में लागू)

3. कि मैं भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा मुआवजे की अधिनिर्णीत राशि के रूप में कहने अथवा अपील किए जाने अथवा दोनों स्थितियों में बढ़ाए जाने पर, पट्टाकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति के प्राशुल्क के रूप में निर्धारित मांगी गई राशि अथवा राशियों का निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान कर दूंगा/दूंगी। इस सम्बन्ध में पट्टाकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा और मेरे लिए बाध्यकारी होगा (नीलामी से बेचे गए प्लॉटों को छोड़कर अन्यो पर लागू)

4. कि मेरे द्वारा उपर्युक्त किसी राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में उपर्युक्त सम्पत्ति के संबंध में लीज-होल्ड अधिकारों का फ्री-होल्ड अधिकारों में परिवर्तन अकृत और शून्य माना जाएगा और पट्टाकर्ता/स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसे वसूल करने का हक होगा।

5. कि यदि स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी समय यह पाया गया कि उपर्युक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का प्रयोग दिल्ली की मुख्य योजना का उल्लंघन करके गैर-रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो मैं तत्काल उस प्रयोग को बंद कर दूंगा।

आज के के
दिन को दिल्ली/नई दिल्ली में निष्पादित किया गया।

पट्टेदार/उप-पट्टेदार/आबंटिती/क्रेता

निम्नलिखित की उपस्थिति में

साक्षी :

1.

2.

AFFIDAVIT

(To be sworn by person in whose favour conversion is sought on non-judicial stamp paper of Rs. 2/- duly attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

I _____ S/o, D/o, W/o Sh. _____
r/o _____ do hereby solemnly affirm and declare
as under :-

1. That I am the lessee/sub-lessee/allottee in physical possession of the plot/flat/tenament/no. _____
in Block no. _____ Pkt. _____ in _____

OR

That I am in physical possession, under a valid agreement to sell dt. _____ executed
in my favour in respect of the plot/flat/tenament no. _____ in Block no.
_____ Pkt. _____ in _____

2. That the prescribed use of the aforesaid property, as per the lease/sub-lease/letter of allotment is only residential.
3. That there is no unauthorised Construction in the aforesaid property.

OR

That there is unauthorised construction in the aforesaid property as described below :

4. That the above referred property is being used only for residential purpose.

OR

That a portion measuring _____ sq. mtr. of the covered area of the above referred
property is being used for _____ (purpose)
by the occupant of the premises in conformity with the provisions of Master Plan of Delhi prescribed for such
non-residential use. Rest of the property is being used only for residential purpose.

5. That I or my wife/husband/dependent children/dependent relations/parents do not own in full or in part
any residential plot/flat in the Union Territory of Delhi nor have sold any Lease/sub-lease hold residential
plot/flat in the Union Territory of Delhi during the last 10 years nor do I or my wife/husband/dependent
children/dependent relations/parents have membership of any Cooperative House Building Society/
Cooperative Group Housing Society in Delhi. (This para is applicable only if conversion is sought in
favour of a person other than the lessee/sub-lessee/allottee)
6. That up-to-date ground rent has been paid in respect of the above referred property.
7. That the contents of the accompanying application for conversion of lease hold rights into free hold rights in respect
of the above referred property are true and correct and the documents annexed thereto are genuine.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Delhi this _____ day of _____ 1999 _____ that the contents of the
above affidavit are correct to my knowledge and belief. Nothing contained herein is untrue and nothing material is con-
cealed therefrom.

DEPONENT

शपथ-पत्र

(यह शपथ-पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है। यह शपथ-पत्र 2/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इस नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से विधिवत साक्ष्यांकित करवाया जाए।)

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी

एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्न प्रकार प्रतिज्ञात और घोषणा करता/करती हूँ:-

1. कि मैं के पाकेट ब्लॉक सं. के प्लाट/पलैट सं./मकान सं. का पट्टेदार/उप पट्टेदार/आबंटिती हूँ और मेरे पास उपर्युक्त प्लाट/पलैट का वास्तविक कब्जा है।

अथवा

कि मेरे पास के पाकेट ब्लॉक सं. के प्लाट/पलैट सं./मकान सं. के सम्बन्ध में दिनांक को मेरे पक्ष में निष्पादित वैध विक्रय करने के करार के अन्तर्गत उसका वास्तविक कब्जा है।

2. कि पट्टे/उप पट्टे/आबंटन पत्र के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति का निर्धारित उपयोग केवल रिहायशी है।

3. कि पूर्वोक्त सम्पत्ति में कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया गया है।

अथवा

कि पूर्वोक्त सम्पत्ति में कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

4. कि उपर्युक्त सम्पत्ति का उपयोग केवल रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

अथवा

कि उपर्युक्त सम्पत्ति के आवृत क्षेत्रफल के वर्ग मी. भाग का उपयोग गैर रिहायशी उपयोग के लिए निर्धारित दिल्ली की मुख्य योजना के उपबंधों के अनुसार परिसर के कब्जेदार द्वारा (प्रयोजन) के लिए किया जा रहा है। सम्पत्ति के शेष भाग का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

5. कि मेरे अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति/आश्रित बच्चों/आश्रित सम्बन्धियों/माता - पिता के पास संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्लाट/पलैट नहीं है और न ही हममें से किसी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कोई पट्टा/उप पट्टा धारिता रिहायशी प्लाट/पलैट बेचा है और न ही मेरे अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति/आश्रित बच्चों/आश्रित सम्बन्धियों / माता-पिता के पास दिल्ली में किसी सहकारी भवन निर्माण सोसायटी/सहकारी समूह आवास सोसायटी की सदस्यता है। (यह पैरा केवल तभी लागू होगा, यदि परिवर्तन पट्टेदार/उप पट्टेदार/आबंटिती को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करवाना हो।)

6. कि उपर्युक्त सम्पत्ति के अद्यतन भू-भाटक का भुगतान कर दिया गया है।

7. कि उपर्युक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में लीज-होल्ड अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में बदलने के लिए संलग्न आवेदन-पत्र में दिये तथ्य सही एवं सत्य हैं और संलग्न दस्तावेज असली हैं।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

आज के के

दिन को दिल्ली में सत्यापित किया जाता है कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त शपथ-पत्र में दिये गये विवरण सही है। इस में दिया गया कोई भी अंश असत्य नहीं है और इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

(To be executed by the applicant on Non-judicial stamp paper of Rs. ^{100/-} and to be attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

INDEMNITY BOND

This Indemnity bond is executed on this _____ day of _____ 199 _____ by Sh./Smt./Km. _____ S/o, W/o, D/o Sh. _____

r/o _____ (hereinafter called the 'Executant' which term shall include his/her heirs, successors, executors, administrators and legal assigns in favour of President of India/Slum and J.J. Department, MCD, (hereinafter called the 'lessor') which term shall include its heirs successos, executors administrators and legal assigns.

WHEREAS the Executant is the lessee/sub-lessee/allottee in physical possession of the plot/flat No. _____ in Block No. _____ Pkt. _____ in _____

OR

WHEREAS the Executant is the duly constituted attorney of Sh./Smt./Km. _____ S/o, W/o, D/o Sh. _____ in Block No. _____ Pkt. _____ in _____ and is competent to seek sale permission, execute the sale deed and get it registered on behalf of the lessee/sub-lessee/allottee.

AND WHEREAS the Executant has applied to the lessor for conversion of lease hold rights into freehold rights in respect of the above referred property.

AND WHEREAS the lessor, on the faith and representation made to it, has agreed to convert leasehold rights in respect of the above referred property into freehold rights subject to the Executed giving such indemnity, as is hereinafter contained and keeping the lessor harmless from any claim which anyone may, at any time, institute against the lessor in respect of the above referred property.

Now this deed witnesses that in consideration of the lessor agreeing to convert the leasehold rights in respect of the above referred property into freehold rights, the executant hereby covenants with the lessor that he will at all times indemnify and keep harmless the said lessor from all claims and demands made and all actions and proceedings taken against the said lessor by anyone in respect of the aforesaid property o any part thereof, on any ground whatsoever.

In witness whereof the Executant Sh./Smt./Km. _____ S/o, W/o, D/o, Sh. _____ has signed and delivered this bond on this day of _____ 1999 _____

Witness

Executant

1.

2.

(क्षतिपूर्ति बंध-पत्र 10/-रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा निष्पादित किया जाए और इसे नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कृत भी करवाया जाए।)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आज सन् के मास
के दिन को श्री/श्रीमति/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री
निवासी

(जिसे आगे "निष्पादक" कहा गया है) द्वारा निष्पादित किया गया है। निष्पादक शब्द में निष्पादक के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं। यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भारत के राष्ट्रपति/स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. (जिन्हें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) के पक्ष में किया गया है। पट्टाकर्ता शब्द में पट्टाकर्ता के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं।

जबकि निष्पादक के पाकेट के ब्लाक सं. के प्लॉट/प्लैट सं. का पट्टेदार/उप पट्टेदार/आबटिती है और उसके पास उक्त प्लॉट/प्लैट का वास्तविक कब्जा है।

अथवा

जबकि निष्पादक के पाकेट के ब्लाक सं. के प्लॉट/प्लैट सं. के स्वामी श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री का विधिवत नियत अटर्नी है और पट्टेदार/उप पट्टेदार/आबटिती की ओर से बिक्री अनुमति प्राप्त करने, बिक्री विलेख निष्पादित करने और इसे पंजीकृत कराने के लिए सक्षम हैं।

और जबकि निष्पादक ने उपर्युक्त सम्पत्ति को लीज-होल्ड अधिकार से फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते कि निष्पादक उक्त अधिकार बदलने के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली क्षति/हानि की पूर्ति करेगा और इस कारण किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाकर्ता के विरुद्ध किये गये दावे के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

अब यह विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाकर्ता उपर्युक्त सम्पत्ति के लीज-होल्ड अधिकार को फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो गया है, और निष्पादक एतद्द्वारा पट्टाकर्ता से सहमत हो गया है कि वह किसी भी कारणवश उपर्युक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी भी आधार पर किये गये सभी दावों और मांगों तथा किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाईयों और कार्यवाहियों के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और पट्टाकर्ता को कोई हानि नहीं होने देगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / पत्नी / पुत्री ने के के दिन को इस बंध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा बंध-पत्र जारी कर दिया है।

साक्षी :

1.

2.

निष्पादक

(यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है। यह बंध-पत्र 10 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कृत भी करवाया जाए।)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आज सन् के मास
के दिन को श्री/श्रीमति/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री
निवासी

(जिसे आगे 'निष्पादक' कहा गया है) द्वारा निष्पादित किया गया है। 'निष्पादक' शब्द में निष्पादक के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं। यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र भारत के राष्ट्रपति/स्लम एवं जे.जे विभाग, दि.न.नि. (जिन्हें आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है) के पक्ष में किया गया है। 'पट्टाकर्ता' शब्द में पट्टाकर्ता के वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशिती शामिल हैं।

जबकि निष्पादक के पाकेट के ब्लॉक
सं. के प्लॉट/प्लैट सं. का उसके पक्ष में दिनांक
को निष्पादित बैध 'विक्रय करने के करार' के अन्तर्गत वास्तविक कब्जा है।

और जबकि पट्टाकर्ता किये गये आवेदन की सत्यनिष्ठा पर विश्वास करते हुए उपर्युक्त सम्पत्ति के लीज-होल्ड अधिकार को फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते कि निष्पादक उक्त अधिकार बदलने के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली क्षति/हानि की पूर्ति करेगा और इस कारण किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा पट्टाकर्ता के विरुद्ध किये गये दावे के कारण पट्टाकर्ता को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

अब यह विलेख साक्षी है कि जबकि पट्टाकर्ता उपर्युक्त सम्पत्ति के लीज-होल्ड अधिकार को फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के लिए सहमत हो गया है, और निष्पादक एतद्द्वारा पट्टाकर्ता से सहमत हो गया है कि वह किसी भी कारणवश उपर्युक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी भी आधार पर किये गये सभी दावों और मांगों तथा किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टाकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाईयों और कार्यवाहियों के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और पट्टाकर्ता को कोई हानि नहीं होने देगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/पुत्री
ने के
के दिन को इस बंध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा बंध-पत्र जारी कर दिया है।

साक्षी :

निष्पादक

1.

2.

(To be executed by the person in whose favour conversion is required on Non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and to be attested by Notary Public/First Class Magistrate.)

1801

INDEMNITY BOND

This Indemnity bond is executed on this _____ day of _____ 199 ____
by Sh./Smt./Km. _____ S/o, W/o, D/o Sh. _____

r/o _____ (hereinafter called the 'Executant' which term shall include his/her heirs, successors, executors, administrators and legal assigns in favour of President of India/Slum and J.J. Department, MCD, (hereinafter called the 'lessor') which term shall include its heirs, successors, executors administrators and legal assigns.

WHEREAS the Executant is in physical possession of the plot/flat No. _____ in Block No. _____ Pkt. _____ in _____ under a valid agreement to sell dt. _____ executed in his/her favour.

AND WHEREAS the lessor, on the faith and representation made to it, has agreed to convert leasehold rights in respect of the above referred property into freehold rights subject to the Executant giving such indemnity, as is hereinafter contained, and keep the lessor harmless from any claim which anyone may, at any time, institute against the lessor in respect of the above referred property.

NOW THIS DEED WITNESSES that in consideration of the lessor agreeing to convert the leasehold rights in respect of the above referred property into freehold rights the executant hereby covenants with the lessor that he will at all times indemnify and keep harmless the said lessor from all claims and demands made and all actions and proceedings taken against the said lessor by anyone in respect of the aforesaid property or any part thereof, or any ground whatsoever.

In witness whereof the Executant Sh./Smt./Km. _____
S/o, W/o, D/o of Sh. _____ has signed and delivered this bond
on this day of _____ 199 _____

Executant

Witness:

1. _____
2. _____

SPECIMEN SIGNATURES AND PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS OF THE PERSON IN WHOSE FAVOUR CONVERSION IS SOUGHT DULY ATTESTED BY NOTARY/FIRST CLASS MAGISTRATE

(व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर तथा परिपत्र आकार का छायाचित्र जिसके पक्ष में परिवर्तन किया जाना है, का नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हों)

Name / नाम _____ s/o, w/o, d/o / पुत्र/पत्नी/पुत्री _____
 Application No. / प्रार्थना-पत्र संख्या _____ Property No. / सम्पत्ति सं. _____
 Colony / कालोनी _____

1.	_____ (Specimen signature) (नमूना हस्ताक्षर)	Attestation सत्यापित	<input type="text"/>
2.	_____ (Specimen signature) (नमूना हस्ताक्षर)	Attestation सत्यापित	<input type="text"/>
3.	_____ (Specimen signature) (नमूना हस्ताक्षर)	Attestation सत्यापित	<input type="text"/>
4.	_____ (Specimen signature) (नमूना हस्ताक्षर)	Attestation सत्यापित	<input type="text"/>

NOTE: If the applicant is allottee/sub-lessee/lessee, then his/her photographs and in case of applicant being an attorney, the photographs of person named in Column 3 of the application form are required to be submitted as above.

नोट :- यदि प्रार्थी आबंटी/उप-पट्टेदार/पट्टेदार है तो उसके/उसकी छायाचित्रों तथा दूसरी तरफ प्रार्थी एक अटॉर्नी हो, तो प्रार्थना-पत्र के कॉलम तीन में दिए गए नाम के व्यक्ति के छायाचित्रों को उपयुक्त तौर पर पेश किया जान चाहिए।

Annexure "Q"

अनुलग्नक (प) 'क्यू'

DETAILS OF PAYMENT OF GROUND RENT.

भूमि के किराए की अदायगी का विवरण

Sl. No. क्रम संख्या	Challan No. पावती संख्या	Date of Deposit जमा करने की तिथि	Amount राशि	Period समय	
				From से	To तक

Attested true copies of the proofs of above payments to be enclosed.

उपर्युक्त की गई अदायगी के साक्षद में सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए।